

कार्यालय जिला पंचायत कानपुर नगर।

अल्पकालिक निविदा

जिला पंचायत कानपुर नगर के पत्रांक 165/निर्माण/2017-18 दिनांक 20.05.2017 द्वारा दैनिक समाचार पत्र "दैनिक हिन्दुस्तान" व "दैनिक जागरण" के अंक दिनांक 21.05.2017 को प्रकाशित ई-निविदा के क्रमांक 1 से 24 तक की परियोजनाओं में कोई भी प्रतिस्पर्धा निविदा प्राप्त न होने के कारण पुनः दिनांक 08.06.2017 को अपराह्न 2 बजे तक ई-टेंडरिंग के माध्यम से पुनः आमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिनांक को अपराह्न 4 बजे खोली जायेंगी। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क कर स्थापित कर सकते हैं।

- नोट:- 1. जमानत की धनराशि पूर्व में दर्शित 10 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत मान्य होगी।
2. एकल निविदा मान्य नहीं होगी।
3. शेष नियम व शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

विनोद कुमार सिंह
अभियन्ता
जिला पंचायत, कानपुर नगर।

हरिपाल सिंह यादव
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, कानपुर नगर।

पुष्पा कटियार
अध्यक्ष
जिला पंचायत, कानपुर नगर।

पृष्ठ सं०:- २०९ /निर्माण/2017-18

दिनांक:- ०१-०६-२०१७

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया शासनादेश सं० 2998/33-2-11-197 जी/2011 दिनांक 29.07.2011 के क्रम में नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित रहने हेतु किसी अपर जिलाधिकारी को नामित करने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना वेबसाइट पर <http://panchayat.nic.in/> kanpur nagar ZP पर डाउन लोड कराने का कष्ट करें।
3. वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत कानपुर नगर को सूचनार्थ।
4. रोकडिया जिला पंचायत कानपुर नगर को अनुपालनार्थ।
5. परगनाधिकारी कानपुर/घाटमपुर/बिल्हौर को सूचनार्थ।
6. अधिशाषी अभियन्ता लो०नि०वि०/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कानपुर नगर को सूचनार्थ।
7. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. जिला पंचायत कानपुर नगर के पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ।
9. संपादक दैनिक जागरण/दैनिक हिन्दुस्तान, कानपुर नगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति अपने आगामी अंक में एक बार कम से कम स्थान पर प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में इस कार्यालय को भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत कानपुर नगर।